

11.02.2020

पतावली पेश। वादी एवं वकील वादी  
अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन  
बार आवाज लगवाई गई, बावजूद  
इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे  
यह प्रतीत होता है कि वादी एवं  
वकील वादी अपने दावे को लेकर  
गम्भीर नहीं है, अतः यह दावा  
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के  
आदेश-9 (नियम-8) के तहत इसी  
स्तर पर खारिज की जाती है।  
पतावली फ़ैसल शुमार होकर,  
नम्बर से कम की जाकर, दाखिल  
दफ्तर हो।

~~HM/15~~

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

